Government of India Ministry of Electronics and Information Technology Electronics Niketan, 6, CGO Complex New Delhi-110003

No. 3(2)/2011-HRD (Vol.V)

19.12.2017

To

Shri Prem Raj Sharma H-64, Meera Marg Bunnypark Jaipur, Rajasthan -302016

Subject: Information under RTI Act, 2005.

Sir,

Reference communication no. 1(4)/2017-RTI (Vol. III) dt. 20.11.2017 received from Smt. Ashma Gandhi, Section Officer, MeitY regarding transfer of your application dated 07.11.2017 under RTI Act, 2005.

- 2. In this connection, the requisite information in respect of HRD Division is enclosed.
- 3. The Appellate Authority is Shri A. K. Pipal, Scientist 'F', HRD Division, Ministry of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,

Sánjay KP. Vyas Additional Director

(CPIO-HRD Division) Tel: 24301336, Fax: 24366559

Email: s.vyas@nic.in

Copy for information to:

Smt. Ashma Gandhi, Section Officer (RTI Cell), MeitY

19/12/17

संख्याः एल-14015/4/2017-एचआरडी भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मानव संसाधन विकास प्रभाग)

दिनांकः 18/12/2017

विषय:- सूचना का अधिकार समसंख्यक आवेदन श्री प्रेम राज शर्मा

सूचना का अधिकार समसंख्यक आवेदन श्री प्रेम राज शर्मा दिनांक 07.11.2017 से प्रेषित है।

- 2. इस संदर्भ में मानव संसाधन विकास प्रभाग की सूचना संलग्न है।
- 3. यह सूचना प्रभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदित है।

भवदीय,

frisil

(दिनेश कुमार सागर) उपनिदेशक दूरभाष:— 24301234

अति.निदेशक(एसकेवी) एवं सीपीआईओ

- भारत सरकार ने मार्च 2014 में 'आईटी मास लिटरेसी' के नाम से एक योजना को मंजूरी दी जिसे बाद में 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' (एनडीएलएम) नाम दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक योग्य परिवार से एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से शिक्षित करने के उद्देश्य से 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया तािक आईटी और संबंधित अनुप्रयोगों का उपयोग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेते और उनकी आजीविका बढ़ा सकें। एनडीएलएम अगस्त 2014 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- डिजिटल भारत के अंतर्गत, डिजिटल साक्षरता अभियान (दिशा) नामक एक नई योजना को दिसंबर 2014 में मंजूरी दी गई थी जिसमें चार साल की अविध में डिजिटल साक्षरता में 42.5 लाख अतिरिक्त उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। अवस्था योजना के तहत; डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए नामांकित मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और अधिकृत राशन डीलरों को शामिल करने के लिए विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि ये घास रूट स्तर पर संचालित सरकारी अधिकारी हैं। इस प्रयास में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को संबंधित राज्य / संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से इन अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने के लिए संपर्क किया गया था।

दिसंबर 2016 में दोनों योजनाओं के तहत 52.50 लाख लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का संचयी लक्ष्य प्राप्त किया गया।

सरकार ने फरवरी 2017 में "प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" (पीएमजीदिशा) नामक एक योजना को मंजूरी दी है | इस योजना का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है | इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 तक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को कंप्यूटर / डिजिटल एक्सेस डिवाइस के संचालन के लिए जानकारी, जान और कौशल प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है | चूँकि मोबाइल फोन के

माध्यम से नकद रहित लेन-देन पर सरकार जोर दे रही है, इसलिए पाठ्यक्रम सामग्री में डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफ्रेस (यूपीए), असरंचित अनुपूरक सेवा डेटा (यूएसएसडी) और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) आदि शामिल है | डिजिटली साक्षर वयक्ति कंप्यूटर / डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे कि टेबलेट, स्मार्ट फ़ोन आदि) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इन्टरनेट ब्राउज करने, सरकारी सेवाओ का उपयोग, सुचना के लिए. नकद रहित लेन-देन आदि को संचालित करने में सक्षम होंगे और इसलिए सिक्रय रूप के आईटी का उपयोग कर सकेंगे तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे |

- पीएमजीदिशा योजना के अंतर्गत अभी तक, 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 96 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है और 45.29 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।
- पीएमजीदिशा योजना एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है | इस योजना के तहत राज्य / संघ शासित प्रदेशीय सांकेतिक धन की आवश्यकता निम्न है :-

	राज्य / संघ शासित प्रदेश	सांकेतिक धन की आवश्यकता
		(करोड़ रूपए में)
1	उत्तर प्रदेश	437.79
2	बिहार	259.83
3	मध्य प्रदेश	148.29
4	राजस्थान	145.47
5	झारखण्ड	70.66
6	छत्तीसगढ़	55.33
7 *	हरियाणा -	46.67
8	उत्तराखण्ड	19.83
9	हिमाचल प्रदेश	17.39

नोट: प्रत्येक राज्य / संघ शासित प्रदेश में धन की आवश्यकता प्रदर्शन के आधार पर भिन्न हो संकती है

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in November 2014 had approved a Scheme for setting up seven (07) Electronics and ICT Academies in the country to address the requirement of training the faculty of the country in the latest as well as upcoming/emerging areas of Electronics and ICT for Engineering and polytechnics; and, also to promote use of ICT tools and techniques amongst the faculty in all streams in the country. Out of the Seven(07) Academies, Five(05) Academies have been setup in Category 'A' at IIT Kanpur (Uttar Pradesh), IIT Guwahati (Assam), NIT Patna (Bihar), NIT Warangal (Telangana) and IIITD&M, Jabalpur (Madhya Pradesh) with an annual target to train 4000 faculty each. Further two(02) Academies have been setup in Category 'B' at IIT, Roorkee (Uttarakhand) and MNIT, Jaipur (Rajasthan) with an annual target to train 1600 faculty each. These Academies have become operational. The total outlay of the Scheme for setting up seven(07) Academies is Rs.147.48 Crore. And total GIA is Rs. 103.98 crore.

So far, 281 faculty Development Programmes (FDPs) covering 10,541 participants have been conducted by Academies.

Scheme for 'Skill Development in ESDM for Digital India'

MeitY has approved a Scheme "Skill Development in ESDM for Digital India" on 09/12/2014 with a total target of 3,28,000 candidates to cover all States/UTs of the country in order to facilitate creation of an eco-system for development of ESDM Sector in the entire country. The total outlay of the scheme is Rs. 410.94 Crore out of which an amount of Rs. 354.85 Crore is the Grants-in-Aid (GIA).

The Target Beneficiaries of the Scheme are 8th /10th Pass, ITI holders, Polytechnics, Under Graduates (Non-Engineering) candidates and the Training is being imparted in 5 levels i.e. NSQF Compliant Level1 – Level5. Electronics Sector Skill Council of India (ESSCI), Telecom Sector Skill Council (TSSC) and National Institute of Electronics & IT (NIELIT) are the Key Implementing Agencies. An Expert Committee constituted by the Government recommends basket of courses which could be covered under the Schemes. So far 80 courses (49 Service and 31 Manufacturing Courses.) are recommended. Out of these 80 Courses, currently 59 courses are NSQF compliant and are eligible for Govt. funding. The schemes are being implemented across the country by 1882 Training Partners (TPs) affiliated with ESSCI, NIELIT and TSSC.

In this Scheme, so far, a total of around 2.40 lakh candidates have been enrolled and trained out of which around 1.40 lakh candidates have been certified.

Information Security Education and Awareness (ISEA) Project Phase-II

The project has been approved with an outlay of Rs. 96.08 crore to be implemented over a period of 5 years w.e.f. 01.4.2014. Under the ISEA Project Phase-II, 1.14 lakh persons are proposed to be trained under formal and non-formal courses, faculty training etc. In addition, about 400 Paper publications are expected. The project also aims to provide training to more than 13,000 Government officials and creating mass information security awareness targeted towards Academic users, Government users and General users (approximately 3 crore Internet users in five years through direct and indirect mode). 51 institutions have been identified for the implementation of academic activities under the project.

So far, 27,344 candidates under-going training/trained in various formal/non-formal programs, 4,330 Government officials have been trained and 560 awareness workshops are conducted covering 60,029 participants.

No. 3(2)/2011-HRD (Vol.V) Ministry of Electronics and Information Technology (HRD Division)

Date: 21.11.2017

Subject: Seeking Information of application under RTI Act, 2005 of Shri Prem Raj Sharma dated 07.11.2017 forwarded by Smt. Ashma Gandhi, Section Officer, MeitY.

Kindly arrange to provide requisite information as per RTI application of Shri Prem Raj Sharma dated 07.11.2017, forwarded by Smt. Ashma Gandhi, Section Officer, RTI Cell vide letter no. 1(4)/2017-RTI (Vol. III) dt. 20.11.2017 (copy enclosed), in respect of HRD Division, as applicable. The requisite information may kindly be provided urgently and latest by 28.11.2017 to the undersigned.

Encl: As above.

(Sanjay Kr. Vyas) Additional Director

(CPIO-HRD Division) Tel: 24301336, Fax: 24366559

Email: s.vvas@nic.in

DD(HRD)

olc

नंबर 1 (4) / 2017- आरटीआई (Vol.III) भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 'इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन', 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली -110003

दिनांक : 20.11.2017

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन-पत्र ।

इस मंत्रालय को श्री प्रेम राज शर्मा, (दिनांक 07.11.2017) का आवेदन-पत्र, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)। आवेदन की प्रतिलिपि संबंधित कार्यालय/अनुभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत भेजी जा रही है। आपसे अनुरोध है कि आपके कार्यालय/अनुभाग से संबंधित जानकारी आवेदन कर्ता को सीधे भेज दी जाएं।

(अशमा गाँधी) अनुभाग अधिकारी

संलग्न - यथोपरि

सेवा में,

संलग्न सूची के अनुसार,

Anigor (S)

HRD Div.

Meity

प्रतिलिपि : श्री प्रेम राज शर्मा, H-64, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राज.) - 302016.

प्रेषक :- मो. 98292 54092 प्रेम राज शर्मा एच-64, मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राज.) 302016 दिनांक ०७ ७ ।। २० ७७

सेवामें.

The Secretary Minishy of electronics & Informations Technology Govt. of India New-Delhi

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न सूचना प्रदान करवाने हेतु। महोदय,

चाही गई सूचना के लिए आवेदन शुल्क रू 10 /- का पोस्टल ऑर्डर संलग्न है।

चाही गई सूचनाका विवरण

 जून 2014 से अब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में आपके विभाग की विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करवाने की कृपा करें।

2. आपके विभाग एवं विभाग से सम्बन्ध / अधीन—अन्य विभागों, संस्थाओं, एजेन्सी, बोर्ड, इन्स्टीट्यूट, निगम इत्यादि की कल्याणकारी, जनिहतकारी, विकासोन्मुखी, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करवाने हेतु।

3. वर्ष 2017—18 में विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, उन्तराखण्ड, हिमाचल, हरियाणा, बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को आंवटित बजट एवं उसमें केन्द्र एवं राज्यों की हिस्सेवारी की जानकारी प्रदान करवाने हेतु।

कृपया चाही गई सूचना भिजवाने की कृपा करें।

धन्यवाद

F01-H2


oftes affiche Heffert (St. After 193)
Office of Dr. Second Gaur, Sr. Economic Advisor
Stat 181./Diary No. 13.11.17

स्टेलान:- पोस्टल आईर्ट. 10/-40F 956762d+.6/11/2017

भवदीय May M (प्रेम राज शर्मा)

Seg

A DE TOPES



40F 956778



